सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

RECOVERY DEPARTMENT ,REGIONAL OFFICE ,HOUSE NO 432, A.P.COLONY ,GAYA ,823001

APPENDIX-IV-A

[Refer Provision to 8(6) & rule 9(1)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) & rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/properties were mortgaged/charged to the **Central Bank of India, Jamalpur Branch**, Secured Creditor, the **Symbolic possession** of which has been taken by the Authorised Officer of **Central Bank of India**, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis, condition on **16/03/2026** between **11:00 AM to 05:00 PM**, for the recovery of sum of **Rs. 23,78,931/- (Rupees Twenty Three Lakh Seventy Eight Thousand Nine Hundred Thirty One only)** and interest & other charges as on **25/07/2022** and further interest there on from **26/07/2022** and other expenses thereon due to the secured creditor **Central Bank of India, Jamalpur Branch** from the **Borrowers 1. Mrs. Urmila Devi W/o Mr. Ramavatar Paswan 2. Mr. Chandan Kumar S/o Mr. Ramotar Paswan**, Near Durga Sthan Nayagaon, P.O-Jamalpur, P.S-Jamalpur,District: Munger Bihar 811214 & **Guarantor** 1. Mr. Naresh Kumar, S/o Mr. Mahendra Ray, Near Kamela Chandi Asthan Road, Gumti No.02, Munger, Dist-Munger

The Reserve Price will be **Rs.14,68,000/- (Rupees Fourteen Lakh Sixty Eight Thousand Only)**; The Earnest Money Deposit will be **Rs.1,46,800/- (Rupees One Lakh Forty Six Thousand Eight Hundred only)** & Bid increment amount **Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only)**.

Date and time of Auction: **Date: 16/03/2026, Time Between 11:00 AM to 05:00 PM.**

Mode of Auction: E-Auction https://centralbankofindia.co.in/ or visit https://ebkray.in/ and or contact Recovery Department, Regional Office, Gaya (Mobile: 6398948203)

All that part and parcel of Property(Land & Building) in the name of Mrs.Urmila Devi,W/O Mr. Ramavtar Paswan

Details/Description of the property/ies

Deed No.	Area	Location	Property details	Boundary
Deed No-3873 **Dt 18/12/2019**	**1.5625** **Decimal**	**Mauza-Keshopur** **Tauzi no 5079** **Khata No 68** **P.S-Jamalpur** **District- Munger**	**Khata no. 68** **Plot no. 309** **Jamabandi-22** **Thana no. 196**	**North-: Ramesh Gupta** **South-: Middle School Keshopur** **East-: Bhotri Das** **West-: Kachi Rasta**

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in Central Bank of India Secured Creditor's website i.e. https://www.centralbankofindia.co.in and service provider's website https://ebkray.in

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
For Central Bank of India

Date: 06.02.2026
Place: Gaya

Authorised Officer
अधिकृत अधिकारी/Authorised Officer
Central Bank of India

...ने दंडाधिकारी और पुलिस की तैनाती में सीमांकन कराया। ...न निर्धारण के दौरान ...कारी के रूप में संग्रामपुर

सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कराई गई।

व ग्रामीण संजय कुमार पाठक ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बताया कि विवादित बलपूर्वक जमीन की मापी कराई जा रही है,जो न्यायालयीन प्रक्रिया के विपरीत है। फिलहाल प्रशासन द्वारा सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली।

...म में ऑपरेशन के बाद ...न, डॉक्टर व कर्मी भागे

...को कराया गया था भर्ती, लापरवाही का आरोप

क्लीनिक के बाहर मौजूद परिजन।

जब स्टाफ से डॉक्टर को बुलाने की बात कही गई तो आश्वस्त किया गया कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मधु को ऑक्सीजन लगाकर एंबुलेंस में डाल दिया गया और इमरजेंसी बताकर भागलपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार भागलपुर पहुंचते ही एंबुलेंस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जांच करने पर मधु की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि मधु की मृत्यु संग्रामपुर स्थित क्लीनिक में ही हो गई थी और शव हटाने के लिए रेफर करने का नाटक किया गया। मृतका के पिता अशोक दास ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से उनकी बेटी की जान गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नर्सिंग होम को बचाने के लिए जानबूझकर रेफर किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पहला मामला नहीं है। पिछले वर्ष 13 जुलाई को भी इसी क्लीनिक में कपड़ा गांव की एक गर्भवती महिला की मौत हुई थी, जिसे कथित तौर पर पैसों के लेन-देन से दबा दिया।

सड़क निर्माण शुरू नहीं होने से लोगों में नाराजगी

असरगंज | प्रखंड क्षेत्र के चौरगांव पंचायत अंतर्गत माछिडीह गांव के दलित टोला में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से स्वीकृत पीसीसी सड़क निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि योजना चयनित और स्वीकृत होने के बावजूद जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, जिससे आवागमन की समस्या बनी हुई है। लोजपा (आर) दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मैनेजर पासवान ने बताया कि सांसद अरुण भारती की निधि से दिनकर पासवान के घर से विषहरी स्थान होते हुए बंटी पासवान के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण के लिए पांच लाख रुपए की अनुशंसा की गई थी। ह सड़क दलित टोला के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में योजना का स्थल बदलकर मकवा के अद्रास में बजरंगबली मंदिर से सिकंदर के घर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दे दी गई और माछिडीह की योजना को नजरअंदाज कर दिया गया। विभाग के कनीय अभियंता आनंद कुमार ने स्थल निरीक्षण भी किया था। प्रखंड लोजपा आर अध्यक्ष उदय ने बताया कि एनओसी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य लंबित है।

जिलाधिकारी को पत्र लिखकर गंगा नदी किनारे स्थित सीता चरण को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। सपा जिलाध्यक्ष ने सोमवार को लिखे पत्र में इसके जीर्णोद्धार की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि मान्यता है की लंकापति रावण के वध के उपरांत अयोध्या लौटने के क्रम में भगवान श्रीराम ब्रह्म हत्या का दोष निवारण के लिए पौराणिक मुग्दल पुरी यानी वर्तमान मुंगेर में माता जानकी ने गंगा नदी तट पर उन्नति अवनीति के कारक भगवान भास्कर की पूजा कर सुख शांति व समृद्धि की कामना की थी। आज विश्व के हर जगह छठ पूजा मनाई जाती है। मान्यता है कि इस परम्परा की शुरुआत यहीं से हुई थी, जिसका प्रमाण आज भी सीता चरण के मंदिर स्थित चट्टानों पर स्पष्ट रूप से प्रलक्षित हो रहा है। पत्र में कहा गया है कि देश में सनातनी सरकार है और सरकार लगातार मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए काम कर रही है। ऐसे में मुंगेर की जनता की इच्छा है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दें और माता सीता चरण का जीर्णोद्धार किया जा सके। सीता चरण के लिए गंगा नदी के पूर्व से लेकर पश्चिम तक पुल का निर्माण हो।इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

मातृत्व कार्यक्रम शिविर में 66 गर्भवतियों की हुई जांच

मुंगेर | प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के तहत सोमवार को मॉडल अस्पताल के ओपीडी भवन में एएनसी (प्रसव पूर्व) जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गर्भवतियों की विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें तीन गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के रूप में चिन्हित किया गया। परिवार नियोजन परामर्शी योगेश कुमार ने बताया कि शिविर में कुल 66 गर्भवतियों की प्रसव पूर्व जांच स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना द्वारा की गई। जांच के दौरान गर्भवतियों का रक्तचाप, शुगर, वजन, लंबाई सहित अन्य आवश्यक परीक्षण किए गए। जांच में सामने आई तीन हाई रिस्क गर्भवतियों की सभी जांच दोबारा कराई गई और उन्हें विशेष चिकित्सीय परामर्श दिया गया। उन्होंने बताया कि हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली गर्भवतियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत संबंधित क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं को गर्भवतियों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। 15 फरवरी को दोबारा एएनसी जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हाई रिस्क गर्भवतियों की पुनः जांच की जाएगी।

...क्रम आयोजित ...ए आवेदन

...न्हें शीघ्र सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का पारदर्शी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। बीडीओ ने जानकारी दी कि सरकार के निर्देशानुसार अब प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को नियमित रूप से प्रखंड कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित होगी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे, ताकि मामलों का मौके पर संज्ञान लिया जा सके। लोगों से बिचौलियों से दूर रहकर सीधे जनसुनवाई में आने की अपील भी की गई।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "सेंट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

वसूली विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, मकान संख्या-432, ए.पी. कॉलोनी, गया-823001

परिशिष्ट-IV-क [परन्तुक 8(6) एवं नियम 9(1) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतदद्वारा सर्वसाधारण को एवं विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं जमानतदार (ओं) 1. **श्रीमती उर्मिला देवी** पति श्री रामअवतार पासवान 2. श्री चंदन कुमार पिता श्री रामअवतार पासवान, निकट दुर्गा स्थान नयागांव, पोस्ट-जमालपुर, थाना-जमालपुर, जिला-मुंगेर बिहार 811214 एवं **गारंटर 1. श्री नरेश कुमार** पिता श्री महेंद्र राय, कमेला चंडी स्थान रोड के पास, गुमटी संख्या 02, मुंगेर, जिला-मुंगेर को सूचित किया जाता है कि निचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका सांकेतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार, **सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, जमालपुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, निचे उल्लेखित सुरक्षित लेनदार, उधारकर्ता एवं जमानतदारों से **सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, जमालपुर शाखा द्वारा बकाया राशि रु.23,78,931/- (रुपये तेईस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ इकतीस मात्र) दिनांक 25.07.2022 तक ब्याज एवं अन्य शुल्क एवं दिनांक 26.07.2022** से आगे का ब्याज एवं उस पर अन्य खर्च की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर **दिनांक 16.03.2026** को बेची जाएगी।

आरक्षित मूल्य:रु.14,68,000/-(रुपये चौदह लाख अड़सठ हजार मात्र); अग्रधन जमा:रु.1,46,800/-(रुपये एक लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र), बोली वृद्धि राशि : रु.15,000/-(रुपये पंद्रह हजार मात्र)।

नीलामी की तिथि एवं समय: 16.03.2026, समय सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक।

नीलामी का मोड : ई-नीलामी **https://centralbankofindia.co.in/** या **https://ebkray.in/** पर जाएं और या वसूली विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गया (**मोबाइल: 6398948203**) से संपर्क करें।

श्रीमती उर्मिला देवी पति श्री रामावतार पासवान के नाम पर स्थित संपत्ति (भूमि एवं भवन) का वह संपूर्ण भाग।

संपत्ति/संपत्तियों का विवरण/विवरण:-

सेल डीड संख्या	क्षेत्रफल	स्थान	सम्पत्ति का विवरण	सेल डीड के अनुसार चौहद्दी
डीड संख्या-3873 दिनांक-18/12/2019	1.5625 डेसिमल	मौजा-केशोपुर, तौजी संख्या- 5079, खाता संख्या- 68, थाना-जमालपुर, जिला-मुंगेर	खाता संख्या-68, प्लॉट संख्या-309 जमाबंदी-22, थाना संख्या-196	उत्तर-: रमेश गुप्ता, दक्षिण-: मध्य विद्यालय केशोपुर पूर्व-:भोतरी दास, पश्चिम-: कच्ची रास्ता

विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **https://www.centralbankofindia.co.in** एवं सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://ebkray.in** पर दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक : 06.02.2026
स्थान : गया

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

...Plot No-92 ... North-: Rajmuni Rai, South-: Jamuna Devi ...
For any ... /Registration Status https://baankne...

Date and time of Auction: Date: 16/03/2026, Time Between 11:00 AM to 05:00 PM.

Mode of Auction: E-Auction https://centralbankofindia.co.in/ or visit ebkray.in/ and or contact Recovery Department, Regional Office, Gaya (Mobile: 6398948203)

All that part and parcel of House Property(Land &Building) in the name of Mrs. Radha Devi w/o Mr. Sukhu Yadav

Details/Description of the property/ies:

Deed No.	Area	Location	Property Details	Boundary
Deed No-4922 Date-06.05.2005	680 Sq ft	Mohalla-Maranpur (Gali Mein) Thana-Civil Lines, Dist-Gaya	Khata No.-854, Plot No. -1410 Municipal Plot No.-20686, Thana No.-10	North-: Raju Yadav, South-:Husaini Yadav wo Rasta East-: Baldev Yadav, West-: Butu Yadav

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in Central Bank of India Secured Creditor's **website i.e.** https://www.centralbankofindia.co.in and service provider's **website** https://ebkray.in

Date : 06-02-2026
Place : Gaya

Authorised officer
CENTRAL BANK OF INDIA

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

RECOVERY DEPARTMENT, REGIONAL OFFICE, HOUSE NO.-432, A.P COLONY, GAYA-823001

APPENDIX-IV-A [Refer Provision to 8(6) & Rule 9 (1)]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) & rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/properties were mortgaged/charged to the **Central Bank of India, Jamalpur Branch**, Secured Creditor, the **Symbolic possession** of which has been taken by the Authorised Officer of **Central Bank of India**, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis, condition on **16/03/2026** between **11:00 AM to 05:00 PM**, for the recovery of sum of **Rs. 23,78,931/- (Rupees Twenty Three Lakh Seventy Eight Thousand Nine Hundred Thirty One only)** and interest & other charges as on **25/07/2022** and further interest there on from **26/07/2022** and other expenses thereon due to the secured creditor **Central Bank of India, Jamalpur Branch** from the **Borrowers 1. Mrs. Urmila Devi W/o Mr. Ramavatar Paswan 2. Mr. Chandan Kumar S/o Mr. Ramotar Paswan**, Near Durga Sthan Nayagaon, P.O-Jamalpur, P.S-Jamalpur, District: Munger Bihar 811214 & **Guarantor** 1. Mr. Naresh Kumar, S/o Mr. Mahendra Ray, Near Kamela Chandi Asthan Road, Gumti No.02, Munger, Dist-Munger

The Reserve Price will be **Rs.14,68,000/- (Rupees Fourteen Lakh Sixty Eight Thousand Only)**; The Earnest Money Deposit will be **Rs.1,46,800/- (Rupees One Lakh Forty Six Thousand Eight Hundred only)** & Bid increment amount **Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only).**

Date and time of Auction: **Date: 16/03/2026, Time Between 11:00 AM to 05:00 PM.**

Mode of Auction: E-Auction https://centralbankofindia.co.in/ or visit ebkray.in/ and or contact Recovery Department, Regional Office, Gaya (Mobile: 6398948203)

All that part and parcel of Property(Land & Building) in the name of Mrs.Urmila Devi,W/O Mr. Ramavtar Paswan

Details/Description of the property/ies

Deed No.	Area	Location	Property Details	Boundary
Deed No-3873 Dt 18/12/2019	1.5625 Decimal	Mauza-Keshopur, Tauzi no 5079, Khata No 68, P.S-Jamalpur, District- Munger	Khata No. 68, Plot No. 309 Jamabandi-22, Thana no. 196	North-: Ramesh Gupta, South-: Middle School Keshopur East-: Bhotri Das, West-: Kachi Rasta

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in Central Bank of India Secured Creditor's **website i.e.** https://www.centralbankofindia.co.in and service provider's **website** https://ebkray.in

Date : 06-02-2026
Place : Gaya

Authorised officer
CENTRAL BANK OF INDIA

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
RECOVERY DEPARTMENT